

प्रेषक,

सन्दीप कुमार

अपर सिविल जज(प्रवर-खण्ड),द्वितीय

जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।

सेवा में,

श्री मान महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा -

माननीय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

विषय-

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए जनपद सुल्तानपुर में तैनाती के दौरान तत्कालीन जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर श्री संतोष राय द्वारा प्रार्थी के खरित्र पत्रिका में प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रस्ताव एवं उस पर माननीय प्रशासनिक न्यायालयमूर्ति श्री राकेश श्रीवास्तव की सहमति दिनांकित 03.11.2021 विषयक विवेक प्रत्यावेदन।

परम आदरणीय महोदय,

उपरोक्त विषय में सम्पूर्ण विनम्रता के साथ प्रार्थी का निम्न लिखित निवेदन है :-

- 1- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए तत्कालीन माननीय जनपद न्यायाधीश श्री संतोष राय द्वारा प्रस्तावित प्रतिकूल प्रवृष्टि की आन लान सूचना प्रार्थी को दिनांक 18.08.2021 को मिली।
- 2- माननीय उच्च न्यायालय के पोर्टल पर प्रस्तावित प्रतिकूल प्रवृष्टि के विरुद्ध सफाई का अवसर 30 दिन का था अर्थात् दिनांक 17.09.2021 से पूर्व प्रार्थी को स्पष्टीकरण दे देना था किन्तु प्रतिकूल प्रवृष्टि में बहुत सारे दस्तावेजी साक्ष्यों को उद्धृत किया गया था जिससे सम्बन्धी सभी अभिलेख जनपद सुल्तानपुर में थे इसलिए बिना अभिलेखों को देखे स्पष्टीकरण दिया जाना सम्भव नहीं था। दिनांक 18.08.2021 की सूचना के बाद प्रार्थी सुल्तानपुर जाना चाहता था मगर जनपद गाजियाबाद में दिनांक 11.09.2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत थी जिसके लिए सभी अधिकारियों को जनपद मुख्यालय पर रहकर लोक अदालत की तैयारी करना था। इसलिए प्रार्थी लोक अदालत तक सुल्तानपुर जाकर अभिलेख का मुआयना नहीं कर सका और लोक अदालत के बाद अभिलेख का मुआयना करने और शिकायती प्रार्थना पत्र का अभिलेख लेने गया था। लिहाजा प्रार्थी ने श्रीमान जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद से अनुमति लेकर सुल्तानपुर जजशिप में जाकर सम्बन्धित अभिलेखों का मुआयना करना चाहा और इसके लिए जनपद न्यायाधीश महोदय सुल्तानपुर को प्रार्थना पत्र प्रातः 11.00 बजे दिया और दिन भर इन्तजार करने के बाद प्रार्थी को जनपद न्यायाधीश महोदय के स्टाफ ने सायं 3.50 बजे पर अनुमति पत्र प्रदान किया इस तरह से करीब 4.00 बजे सम्बन्धित अभिलेखों के मुआयने का अवसर मिला लेकिन इस मुआयने के लिए सन्दर्भित मुकदमों की फाईल मुआयने के लिए मिली मगर तथाकथित शिकायतकर्ता की शिकायत, उन पर लिये गये संज्ञान, शिकायतकर्ता के शपथ पत्र इत्यादि के अवलोकन का अवसर नहीं मिला क्योंकि स्टाफ की सूचना के अनुसार ये सारे दस्तावेज जज साहब ने अपने बक्से में रखे थे। इन परिस्थितियों में प्रार्थी ने शिकायती आरोप से सम्बन्धी सभी अभिलेखीय साक्ष्य की सत्यप्रतिनिधि दिलाये जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जिसपर उस दिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया। यह भी पता नहीं चला कि सत्यप्रतिनिधि मिलेगी भी या नहीं। प्रार्थी शाम 6.00 बजे तक इन्तजार किया

सन्दीप कुमार

तब 6.00 बजे प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी (S.A.O) ने जनपद न्यायाधीश महोदय का मौखिक आदेश सुनाया और बताया कि आपके प्रार्थना पत्र पर जनपद न्यायाधीश महोदय कल दिनांक 14.09.2021 को सुनवाई करेंगे लेकिन कितने बजे सुनवाई करेंगे इसकी सूचना S.A.O ने नहीं दिया और कहा कि आपको इन्तजार करना पड़ेगा।

मैंने जनपद न्यायाधीश गाजियाबाद को सूचित किया था कि पत्रावलियों से सम्बन्धित सभी सूचना नहीं मिल पायी है और जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करना चाहते हैं परन्तु प्रार्थी के पास अगले दिन के अवकाश की अनुमति नहीं है। अतः वापस आ रहे हैं। आवश्यक होने पर माननीय जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर से आनलाइन निवेदन कर लेंगे। S.A.O सुल्तानपुर को भी मैंने सूचित कर दिया कि प्रार्थी का निवेदन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को बता दिया जाए कि कल दिनांक 14.09.2021 को मैं आनलाइन कम्प्यूटर सेंटर पर उपलब्ध रहूंगा यदि श्रीमान जी मेरे प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कोई प्रश्न करना चाहे तो कृपया आप आनलाइन कौन्फ्रेंसिंग पर या मोबाइल पर हमें जनपद न्यायाधीश महोदय का उचित आदेश दे सकते हैं या कोई स्पष्टीकरण ले सकते हैं। ऐसा निवेदन करके प्रार्थी गाजियाबाद वापस आ गया।

3- प्रार्थी अगले दिन दिनभर इन्तजार किया सुल्तानपुर से कोई खबर नहीं आयी। S.A.O को दिनांक 15.09.2021 को 3-4 बार मोबाइल से फोन किया, उन्होंने प्रार्थी का फोन जनपद न्यायाधीश के निर्देश के कारण नहीं उठाया। दिनांक 15.09.2021 को नकल विभाग के क्लर्क श्री गंगाराम गुप्ता के मोबाइल पर बात की और प्रगति जानना चाहा तो उसने बताया कि इससे सम्बन्धित अभिलेख माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा रख लिया गया है। इसलिए हम लोग कोई सत्यप्रतिलिपि निर्गत करने में असमर्थ हैं।

4- इसके बाद प्रार्थी ने S.A.O सुल्तानपुर से 2-3 दिन बार फोन कर शिकायत से सम्बन्धित अभिलेखीय साक्ष्यों की नकल न मिलने की वजह जानने और नकल दिलाये जाने सम्बन्धी निवेदन किया लेकिन प्रार्थी का प्रयास व्यर्थ रहा।

5- इस प्रकार सुल्तानपुर से नकले न मिलने की परिस्थितियों में प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय से जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने की याचना की।

6- माननीय उच्च न्यायालय ने कृपा पूर्वक प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रस्ताव पर प्रत्यावेदन के लिए 15 दिन अतिरिक्त समय प्रदान कर दिया। तदनुसार प्रार्थी ने 15 दिन की इसी मर्यादा काल में प्रतिकूल प्रविष्टि के प्रस्ताव पर अपना प्रत्यावेदन दिनांक 29.09.2021 को माननीय उच्च न्यायालय भेज दिया।

7- ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी का प्रत्यावेदन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष समय से नहीं रखा जा सका जिसके कारण प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर विचार किये बिना/ उसका कोई जिक्र किये बिना माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय द्वारा जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर द्वारा प्रस्तावित प्रतिकूल प्रविष्टि को दिनांक 03.11.2021 को पुष्ट कर दिया। इस प्रकार प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति हुयी है। प्रार्थी को पूर्ण विश्वास है कि यदि माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति सुल्तानपुर महोदय प्रस्तावित प्रतिकूल प्रविष्टि को पुष्ट करने से पहले प्रार्थी के प्रत्यावेदन पर विचार कर लिये होते तो प्रस्तावित प्रतिकूल प्रविष्टि पर माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का आदेश कुछ ओर ही होता।

रजिस्ट्रार

8- उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियों में अति विनम्र होकर निवेदन है कि प्रार्थी की वरिष्ठ पंजिका दिनांकित 03.11.2021 के प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय सुल्तानपुर के पुष्टिकारक टिप्पणी ओर प्रार्थी का दिनांक 29.09.2021 का प्रत्यावेदन दुबारा माननीय न्यायमूर्ति महोदय के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने की महती कृपा करें। ताकि प्रार्थी के साथ न्याय हो सके।

आदर सहित।

दिनांक 24.11.2021

(सन्दीप कुमार)
(सन्दीप कुमार)

अपर सिविल जज (प्रवर-खण्ड), द्वितीय
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।

संलग्नक,

- 1- दिनांक 29.09.2021 की प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपि 59 पृष्ठ
- 2- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावेदन हेतु दिया गया 15 दिन का आदेश का पत्र
- 3- माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर द्वारा प्रेषित प्रस्तावित प्रतिकूल प्रविष्टि का पुष्टिकारक आदेश दिनांकित 03.11.2021 की प्रतिलिपि

(सन्दीप कुमार)
(सन्दीप कुमार)

अपर सिविल जज (प्रवर-खण्ड), द्वितीय
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।

पत्रांक सं० 3728/2021 दिनांकित-24-11-2021

अग्रसारित,

महानिबन्धक

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(सन्दीप कुमार)
जनपद न्यायाधीश,

गाजियाबाद।
District Judge
Ghaziabad